खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0099 / 2017

1. Rajendra Kumara Goyal, S/o Radhey Shyam Goyal, R/o C/o M/s Shri Govind Enterprises, Near Gurdgali, Purani Anaj Mandi, Gangapur City, District Sawaimadhopur.
2. Rajesh Kumar Meena, S/o Ram Sahay Meena, R/o C/o M/s Shri Govind Enterprises, Near Gurdgali, Purani Anaj Mandi, Gangapur City, District Sawaimadhopur.

---Appellants

Versus

1. State of Rajasthan through Commissioner, Food Safety, Swasthaya Bhawan, Jaipur.
2. Food Safety Officer Bhanu Pratap Singh Gehlot, Office of Chief Medical & Health Officer, Sawaimadhopur.

…Respondents

उपस्थितः—

1. श्री मयंक गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री अभिजीत शर्मा एडवोकेट वास्ते श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण राज्य

:: निर्णय :: दिनांक : 07.08.2018

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 03.02.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 09 / 2014 राजस्थान सरकार बनाम राजेश कुमार आदि में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट पर 5,00,000 रूपये (अक्षरे पांच लाख रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार यह बताया गया है कि दिनांक 15. 05.2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, जयपुर ने अपीलार्थी राजेश कुमार की दुकान से पाम ऑयल का सैम्पल वास्ते जांच हेतु लिया जो बाद जांच सब स्टेण्डर्ड पाए जाने पर आवश्यक अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर परिवाद न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि समान परिस्थितियों के अन्य प्रकरण में कम शास्ति अधिरोपित की गई है, उस प्रकरण में भी पाम

ऑयल का सैम्पल लिया गया था और बाद जांच सब–स्टेण्डर्ड पाया गया। योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि समान परिस्थितियों में विभिन्न शास्ति अधिरोपित करने के लिए आधार नहीं दिया गया है और हस्तगत प्रकरण में अधिकतम शास्ति अधिरोपित कर दी गई।

4. प्रत्यर्थी की ओर से तर्क दिया गया कि हर प्रकरण में परिस्थितियां भिन्न होती है, अतः शास्ति के बिन्दु पर समानता की मांग नहीं की जा सकती।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. **अवधार्य बिन्दु :––**

''आया योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, सवाईमाधोपुर ने आलौच्य आदेश दिनांक 03.02.2015 के द्वारा पांच लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित करने में तथ्य एवं विधि की भूल की है?''

6. **विनिश्चयः––** अपीलार्थी के हक में तय किया जाता है।

7. **विनिश्चय के कारणः––**

8. यह सही है कि हर प्रकरण की परिस्थितियां भिन्न होती है और उसी अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाती है।

9. हस्तगत प्रकरण में रेफरल जांच रिपोर्ट के अनुसार Butyrorefracto (B.R.) meter Reading अधिकतम 44.0 हो सकती थी जबकि इस प्रकरण में 44.7 है जिसकी जांच के दो तरीके बताए गए है, एक उपकरण से सीधे जांच और दूसरा मैन्युवल जांच। हस्तगत प्रकरण में जांच उपकरण की विधि से नहीं कर अन्य विधि से की है। ऐसी परिस्थिति में 0.70 की त्रुटि परीक्षण की मानवीय त्रुटि भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में जहां खाद्य पदार्थ सब स्टेण्डर्ड होने का आधार केवल मात्र Butyrorefracto meter Reading में 0.70 की ही अधिकता बताई है, पांच लाख रूपये की शास्ति को युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 09/2014 राजस्थान सरकार बनाम राजेश कुमार आदि में पारित किया गया कि अपीलार्थीगण पर जो शास्ति आरोपित की गई, उसे अपास्त करते हुए अपीलार्थीगण पर 5,00,000 रूपये (पांच लाख रूपये) के स्थान पर 50,000रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.08.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर